न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 136/2017 D.N. - 407

जगदीश S/o रामपाल महाजन नि० काछोला तह. माण्डलगढ ... प्रार्थी बनाम (1) जगदीशचंद्र S/o रामगोपाल महाजन नि० काछोला (2) जगदीशचंद्र S/o कल्याण तेली —"— (3) दिनेश S/o देबीलाल आचार्य —"— तह. माण्डलगढ ... विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक 22/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री जगदीश S/o रामपाल महाजन नि० काछोला ने जरिये अभिभाषक श्री संदीप शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प0ह0 काछोला तह0 माण्डलगढ मे आ[illegible] 995, 997, 998, 1006/1, 1007, 1008, 2677/997

किता 7 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन [illegible] विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करा[illegible] साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक [illegible] की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद कर[illegible] शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही [illegible] है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया ग्राम काछोला की आराजी न0 995, 997, 998, 1006/1, 1007, 1008, 2677/997 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 700/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा एंव पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।